निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या :107/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

राधेश्याम पुत्र रामचन्द्र कुमावत जाति कुम्हार निवासी ग्राम माचवा, कुम्हारों का मोहल्ला, तहसील कालवाड, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ।
2. गजानन्द पुत्र छीतर जाति कुम्हार निवासी ग्राम माचवा, कुम्हारों का मोहल्ला, तहसील कालवाड, जिला जयपुर ग्रामीण।

मुख्य अप्रार्थीगण

3. रामचन्द्र पुत्र सूजा कुमावत जाति कुम्हार निवासी ग्राम माचवा,कुम्हारों का मोहल्ला, तहसील कालवाड, जिला जयपुर ग्रामीण।
4. मंजू देवी पत्नी टीकम चन्द सोनी, जाति सुनार, निवासी 106, चित्रकूट कालोनी, कालवाड रोड झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर ।
5. मैसर्स शिव गौरिसा बिल्डर्स एण्ड लैण्ड डवलपर्स जरिये विक्रय सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी हाथोज, तहसील कालवाड, जिला जयपुर ग्रामीण।
6. ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति लि॰ जरिये अध्यक्ष बसन्त शर्मा निवासी 08, गली नम्बर 11, गणेश कालोनी पंखा–कांटा, कालवाड रोड, जयपुर ।
7. श्रीमती रामप्यारी पत्नी प्रहलाद यादव जाति अहीर निवासी निकिता पब्लिक स्कूल, अंसल सुशांत सिटी'–2, माचवा, कालवाड रोड, जयपुर ग्रामीण।
8. श्रीमती सोनू यादव पत्नी सुनील यादव जाति अहीर निवासी निकिता पब्लिक स्कूल, अंसल सुशांत सिटी'–2, माचवा, कालवाड रोड, जयपुर ग्रामीण।
9. सुमन यादव पत्नी शंकर लाल यादव जाति अहीर निवासी निकिता पब्लिक स्कूल, अंसल सुशांत सिटी'–2, माचवा, कालवाड रोड, जयपुर ग्रामीण।
10. श्रीमती हेमलता पत्नी कन्हैयालाल यादव जाति अहीर निवासी निकिता पब्लिक स्कूल, अंसल सुशांत सिटी'–2, माचवा, कालवाड रोड, जयपुर ग्रामीण।
11. तहसीलदार जयपुर ।
12. उप पंजीयक तृतीय, झोटवाडा, पंचायत समिति झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 47/2023 ब उनवानी गजानन्द बनाम मंजू व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित:—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित है।
2. श्री परसराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 21.09.2023**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 47/2023 ब उनवानी गजानन्द बनाम मंजू व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री परसराम चौधरी ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में विवादित आराजी प्रार्थी की खरीदशुदा आराजी है तथा वह अपनी आराजी में मकान बना कर पूर्व से ही हाल आबाद था, किन्तु प्रार्थी ने पुराने मकानात को धवस्त कर नये तामीरात करने की कोशिश की तो अप्रार्थी संख्या 2 जो कि भू माफिया लोगों से मिलीभगत कर अवैद्य स्थगन प्राप्त कर प्रार्थी के निर्माणाधीन तामिरात को सआशय पूर्वक रूकवा कर आर्थिक व मानसिक क्षति पहुंचाने पर आमादा फिसाद है तथा अधीनस्थ न्यायालय से मिलीभगत कर घोषणा, बेदखली एवं निर्मित मकानात को तुडवाये जाने के वाद पत्र अवैद्य स्थगन आदेश प्राप्त कर प्रार्थी को बेजा क्षति कारित करने की सम्भावना के मध्य नजर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। कानून का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि न्याय किया ही नही जाना चाहिये बल्कि किया हुआ दर्शित होना भी चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पिछली तारीख पेशी पर उक्त अकेली पत्रावली को सांय 5 बजे तक रोके रखना तथा अभिभाषक के द्वारा काफी निवेदन के पश्चात ही प्रथम तारीख पेशी पर ही प्रार्थी को बिना नकल प्रदत्त कराये कोई कार्यवाही नही किये जाने के कथनों के बावजूद भी पत्रावली को रोके रखना एव थाना अधिकारी से अवैद्य स्थगन आदेश की आड में प्रार्थी के निर्माणाधीन मकान को रूकवाना एवं जाते जाते अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थी संख्या 1 से दिनांक 18.07.2023 को स्थगन प्राप्त करने की धमकी भरे कथनात से यह पूर्ण आशंका कारित हो गई है कि अप्रार्थी संख्या 2 भू माफिया लोगो से मिल कर एवं अप्रार्थी संख्या 1 को अपने प्रभाव में ले कर अपने पक्ष में अवैद्य स्थगन आदेश पारित करवा कर प्रार्थी के अर्द्वनिर्मित मकान को काफी लम्बे समय तक रोके रखना चाहता है जिसे उसका परिवार बाहर खुले में रहने पर मंजूर हो सके तथा उसकी आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 व उसके साथ लगे हुये भू माफिया व्यक्ति कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा फिसाद करने की सम्भावनाओं के मध्य नजर भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सख्या एक के न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

5. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, किन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में उक्त प्रकरण को यदि अन्य सक्षम न्यायालय में ट्रान्सफर किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। जयपुर मुख्यालय पर सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को अन्तरित किया जा सकता है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 47/2023 मय स्थगन प्रार्थना पत्र ब उनवानी गजानन्द बनाम मंजू देवी व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 10.10.2023 को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम में उपस्थित हो।

9. सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम एवं सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner